



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 337) पटना, सोमवार, 18 अप्रैल 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति-01-03/2016—1654
निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

18 अप्रैल 2016

विषय :-राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात् राज्य में स्थित डिस्टिलरीज तथा विदेशी शराब के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठान के संबंध में नीतिगत निर्णय।

नई उत्पाद नीति, 2015 के तहत निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 386 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोआ आधारित (Molasses Based) आसवनियों 01 अप्रैल, 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत इथनॉल ही बनाएंगी। यह इथनॉल तेल कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल में Blending हेतु आपूर्ति किया जाएगा। अनाज आधारित (Grain Based) आसवनियों 01 अप्रैल, 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत ई0एन0ए0 ही बनाएंगी। इथनॉल/ई0एन0ए0 बनाने के क्रम में जो भी विकृत सुषव अथवा अन्य कोई By- Product निकलता है तो उसे अनिवार्यतः नष्ट करना होगा।

2. आसवनियों तथा तेल कंपनियों द्वारा यह लगातार मांग की जा रही है कि दिसम्बर 2015 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति की घोषणा के बाद राज्य सरकार अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी में ऐसी रियायतें दें कि राज्य में अवस्थित प्रतिष्ठानों को व्यापार करने में आर्थिक हानि न उठानी पड़े। बदले परिवेश में तथा तेल कंपनियों एवं इन उद्योगों की मांग पर आसवनियों द्वारा राज्य में किये गये निवेश को देखते हुये एवं चालू आसवनियों के अस्तित्व की रक्षा तथा भविष्य में निवेश के मद्देनजर इनकी मांग विचारणीय हो गयी है।

3. राज्य में पूर्ण शराब बंदी दिनांक 05 अप्रैल, 2016 से लागू हो चुकी है। उक्त नीति के आलोक में डिस्टिलरी केवल इथनॉल अथवा ई0एन0ए0 का निर्माण कर सकेगी। राज्य में खपत के अतिरिक्त उत्पादित इथनॉल अथवा ई0एन0ए0 को राज्य से बाहर निर्यात को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि इन आसवनियों के व्यापार प्रभावित नही हो।

4. पूर्ण शराब बंदी दिनांक 05.04.2016 से लागू होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये बी0एस0बी0सी0एल0 द्वारा थोक एवं खुदरा व्यापार के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किया गया था तथा विदेशी शराब की कम्पनियों द्वारा बी0एस0बी0सी0एल0 को थोक आपूर्ति हेतु लाईसेंस फी, मूवमेन्ट फी, बिहार राज्य में बिक्री हेतु लेबल रजिस्ट्रेशन फी तथा अन्य एक्साईज ड्यूटी जमा किया गया है। साथ ही अनुज्ञाधारियों के द्वारा अग्रिम वैट भी जमा किया गया है किन्तु शराब बंदी लागू हो जाने के कारण जमा किये गये लाईसेंस फी, वैट, अन्य फी तथा एक्साईज

ड्यूटी का उपभोग नहीं कर सकें हैं। अतएव इनके द्वारा राज्यकीय कोष में जमा राशि को वापस करने पर भी विचार किया जाना समीचीन है।

5. उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि -

(i) निम्न उत्पादों के एक्सपोर्ट ड्यूटी में तात्कालिक प्रभाव से पूर्णतः छूट प्रदान की जायगी-

क्र०	उत्पाद	पूर्व से प्रचलित निर्यात दर	वर्तमान निर्यात दर
1	इथेनॉल	0.50 रु० प्रति एलपीएल	शून्य
2	ENA	04 रु० प्रति एलपीएल	शून्य

यह छूट अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(ii) BSBCL, विदेशी शराब प्रतिष्ठानों, उद्योगों या अनुज्ञाधारियों जिनके द्वारा लाईसेंस फी (प्रपत्र 18, 19, 19बी एवं 20 छोड़कर), मूवमेन्ट फी, बिहार राज्य में बिक्री हेतु लेबल रजिस्ट्रेशन फी तथा एक्साइज ड्यूटी एवं वैट जो वर्ष 2016-17 के लिए जमा किया गया है, इन प्रतिष्ठानों/उद्योगों को समानुपातिक रूप से वापस लौटाया जायेगा। राशि लौटाने की विस्तृत प्रक्रिया वित्त विभाग से परामर्श करके तय की जाएगी।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के०के० पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 337-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>